भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2189

जिसका उत्तर गुरुवार, 18 दिसम्बर, 2025 को दिया जाना है

एक स्वतंत्र काडर इकाई की स्थापना

2189 # श्री नीरज डांगी :

श्रीमती रंजीत रंजन :

श्रीमती फूलो देवी नेतम :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्याय विभाग पन्द्रह साल से अलग होने के बावजूद अपनी कार्मिक आवश्यकताओं के लिए गृह मंत्रालय पर निर्भर है ;

(ख) यदि हां, तो विभाग के लिए एक स्वतंत्र कैडर इकाई स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है और इसके लिए क्या समय सीमा प्रस्तावित है ; और

(ग) मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार न्याय विभाग में प्रत्येक पद के लिए स्वीकृत स्टाफ, काम करने वाले स्टाफ और रिक्तियों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : अभिलेखों के अनुसार पदस्थापना की स्थिति (31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार) उपाबंध पर दी गई है । इनमें से सचिव का पद, 04 संयुक्त सचिवों के पद तथा 04 उप सचिव/निदेशक के पद केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अधीन भरे जाते हैं । 04 उप सचिव/निदेशक के पदों पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा पदस्थापित केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी कार्यरत हैं । शेष पदों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा पदधारियों का आबंटन किया जाता है।

****

उपाबंध

31.03.2025 को स्वीकृत पद संख्या एवं कार्यरत पद संख्या

पद का नाम	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या	रिक्ति
सचिव	1	1	0
संयुक्त सचिव	4	4	0
निदेशक / उप सचिव	8	7	1
अवर सचिव	11	11	0

****